

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 09-10-2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग के यौन उत्पीडन के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

नाबालिग के यौन उत्पीडन के मामले में दोषी किशोर अपचारी को कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹01 लाख अर्थदण्ड की सजा

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर नाबालिग के यौन उत्पीडन के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना परशुरामपुरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 07 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एसजे-08, शाहजहाँपुर द्वारा किशोर अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2022 को वादी द्वारा थाना परशुरामपुरी पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसकी बहन छत पर सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले किशोर अपचारी द्वारा उसके कपड़े फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया गया तथा विरोध करने एवं शोर मचाने पर उसे सरिये से जान से मारने की धमकी दी गई। वादी द्वारा मौके पर पकड़ने का प्रयास करने पर किशोर अपचारी छूटकर फरार हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना परशुरामपुरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर विवेचक महिला उ०नि० श्रीमती सोनी शुक्ला द्वारा किशोर अपचारी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों एवं तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-08, शाहजहाँपुर द्वारा किशोर अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

किशोर अपचारी

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 746/2022, धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुरा

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा-

माननीय न्यायालय एसजे-08, शाहजहाँपुर द्वारा किशोर अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए—

- 10 वर्ष का कठोर कारावास ।
- ₹01 लाख का अर्थदण्ड ।

से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय में मामलों की सशक्त पैरवी, साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति एवं अभियोजन विभाग के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए न्यायालय से दण्डित कराने तथा आमजन में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी है।